FAQ

01. द्वितीय चरण में भाग लेने के लिए कौन -कौन पात्र है ?

उत्तर :- प्रथम चरण में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी व द्वितीय चरण में नवीन रजिस्ट्रेशन करने वाले समस्त अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग लेने के लिए पात्र होंगें।

02. क्या द्वितीय चरण अपग्रेड करने के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर :- प्रथम चरण में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी द्वितीय चरण में अपनी नवीन चॉव्ईस भरकर अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु यहां यह विदित है कि द्वितीय चरण मे सीटों का आवंटन सीट मेट्रिक्स में उपलब्ध सीटों व वरियता क्रम के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। (यहां अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है।) यदि R-2 के दौरान नए विकल्प भरने पर करने पर सीट अपग्रेड हो जाती है, तो पहले आवंटित R-1 सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार को R-2 रिपोर्टिंग नियमों के अनुसार राउंड-2 अपग्रेडेड सीट पर शामिल होना होगा।

03. क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- हाँ, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम चरण से भिन्न कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) (कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गये प्रपत्र एवं अलॉटमेन्ट लेटर) के साथ कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में व्यक्शिः उपस्थित होकर नवीन महाविद्यालय की फीस रसीद प्राप्त करनी होगी साथ ही फीस की राशि यदि पूर्व में जमा फीस से अधिक है तो शेष राशि का डी.डी. कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में जमा करवाना होगा।

04. क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य है ?

उत्तर :- नहीं, यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन नहीं हुआ है तो कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करना अनिवार्य नहीं है। वो अभ्यर्थी सीधे ही प्रथम चरण मे आवंटित महाविद्याल मे 07 दिवस के भीतर रिर्पोट करें।

05. क्या कोई अभ्यर्थी पहले राउंड/दूसरे राउंड से दूसरे राउंड/तीसरे राउंड के दौरान अपग्रेड हो जाती है, तो क्या वे सीधे कॉलेज में रिर्पोट कर सकते है ?

उत्तर :- नहीं। आपको R-2/R-3 अपग्रेडेड सीट पर महाविद्यालय में रिर्पोट करने से पूर्व कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा तथा नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त कर आवंटित महाविद्यालय में 07 दिवस में रिर्पोट करना अनिवार्य होगा।

06. **यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के बाद पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो आवंटित सीट का क्या होगा ?**

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी द्वितीय चरण अथवा बाद के चरणों प्रथम चरण के बाद पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता है तथा निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने में विफल रहता है तो उसको अनुपस्थित मानकर उसकी सीट को वेकेन्ट सीट माना जाएगा काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, अतः यहां पुनः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्ही विकल्पों को भरे जो वो अपग्रेड मे जाना चाहते है। तथा अपग्रेड के पश्चात अनिवार्य रूप से काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करें।

07. **क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड हाने वाले अभ्यर्थी प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय को बरकरार रख सकते हैं ?**

उत्तर :- नहीं, क्योंकि अपग्रेड होने के कारण प्रथम चरण में आवंटित की गई सीट तुरंत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी (यानी, वह सीट किसी और को आवंटित कर दी जाएगी) साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन हुआ है, तो उसको कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में व्यक्तिशः उपस्थित होकर नवीन आवंटित महाविद्यालय की ADMISSIONS-2024 (FEE RECEIPT) प्राप्त करनी होगी तथा द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में 07 दिवस में रिर्पोटिंग करनी अनिवार्य होगी।

08. **क्या द्वितीय चरण काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी अमाउन्ट संबन्धित क्या प्रावधान हैं ?**

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण एवं अन्य पश्चातवर्ति चरणों में कोई महाविद्यालय आंवटित होता है तथा अभ्यर्थी निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिर्पोट करने मे असमर्थ रहता है तो उसकी काउंसलिंग फीस/सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी।

09. अखिल भारतीय कोटे में सीट आवंटन से पश्चात् भी क्या राज्य कोटे की सीट पर पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान हैं ?

उत्तर :- यदि किसी अभ्यर्थी को AACCC द्वारा आखिल भारतीय कोटे से कोई सीट आवंटित होती है तो उसको राज्य कोटे की सीट पर से अनिवार्य रूप से सरेण्डर कर आखिल भारतीय कोटे AACCC द्वारा आवंटित सीट पर ही प्रवेश लेना होगा अन्यथा उसका प्रवेश दोनो जगह से निरस्त माना जाएगा। (AACCC द्वारा अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी राज्य कोटे पर भी अयोग्य माने जाऐगें। साथ ही उनको राज्य कोटे से आवंटित सीट को अनिवार्य रूप से सरेण्डर करना होगा।)